



2026:AHC:45137

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2024 की 4178

मुकेश सिंह

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.. प्रतिवादिगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: रोहित पांडेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित पांडेय और राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आर.के. श्रीवास्तव को सुना गया।
2. यद्यपि इस न्यायालय ने 04.04.2024 को वर्तमान रिट याचिका स्वीकार करते हुए जवाबी हलफनामा मांगा था, परंतु विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने सूचित किया कि हलफनामा दाखिल नहीं हुआ है, फिर भी वे रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर बहस करने की स्थिति में हैं। पक्षों की सहमति से, इस रिट याचिका का निर्णय प्रवेश स्तर पर ही किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसके पिता स्वर्गीय ललता सिंह 1976 से 'सामयिक संग्रह अमीन' के रूप में कार्यरत थे। उनका दावा है कि उन्हें 'उत्तर प्रदेश संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1974' के तहत नियमित और स्थायी कर दिया गया था। वर्ष 1993 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जिसे रिट याचिका संख्या 28744/1993 के माध्यम से चुनौती दी गई थी। इस मामले में 17.08.1993 को एक अंतरिम आदेश पारित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया और हलफनामों के आदान-प्रदान के बाद 09.01.2007 को याचिका स्वीकार कर ली गई, जिसमें न्यायालय ने उनकी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया था।

"पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

रिट याचिका में यह कथन किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को वर्ष 1976 में 'सामयिक संग्रह अमीन' के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके पश्चात याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित कर दिया गया था और उन्हें 'उत्तर प्रदेश संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1974' के प्रावधानों के अनुसार स्थायी संग्रह अमीन बना दिया गया था। वे निरंतर सेवा में बने रहे, परंतु वर्ष 1993 में याचिकाकर्ताओं को सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी गई और इस कारण उक्त कार्रवाई को इस रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।

यह कथन किया गया है कि इस न्यायालय ने, दिनांक 17.08.1993 के आदेश द्वारा, विवादित आदेश दिनांक 23 जून 1993 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी और यह निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता अपने संबंधित पदों पर बने रहेंगे। अंतरिम आदेशों के अनुपालन में, याचिकाकर्ता अभी भी उक्त पदों पर बने हुए हैं और जैसा कि जवाबी हलफनामे में किए गए कथनों से स्पष्ट है, स्वीकार्य रूप से बर्खास्तगी का कोई आदेश अस्तित्व में नहीं है।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों का पूरा पक्ष जवाबी हलफनामे के पैरा 4 में कहा गया है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:"

"यह किया याचिपत्र के प्रस्तर-2 में दिये गये तथ्य साक्ष्य एवं निराधार है वास्तविकता यह है कि याची सं० 2 श्रीरामेश्वर शाही की नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गयी थी जो अवधि को समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो गयी नियुक्ति मेंही इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होते ही यह नियुक्ति समाप्त हो जायेगी।"

"जवाबी हलफनामे के पैरा-4 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साक्ष्य है कि उक्त तथ्य याचिकाकर्ता संख्या-2 से संबंधित हैं और इसमें यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता संख्या-2 की नियुक्ति अस्थायी आधार पर की गई थी और अवधि समाप्त होने पर याचिकाकर्ताओं को सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी गई थी।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान् स्थायी अधिवक्ता यह दर्शाने में विफल रहे हैं कि क्या वह आदेश समयबद्ध था और क्या उनकी सेवाओं को नियमित किया गया है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि याचिकाकर्ता अभी भी उक्त पदों पर बने हुए हैं।

रिट याचिका स्वीकार की जाती है। बर्खास्तगी का आदेश, यदि कोई हो, रद्द किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।"

4. रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, जिस तिथि को रिट याचिका का निर्णय हुआ, उस समय ललता प्रसाद (अब दिवंगत) जीवित नहीं थे और उनका देहांत वर्ष 1999 में हो चुका था। तथापि, राज्य द्वारा एक विशेष अपील (डी) संख्या 686 वर्ष 2010 अधिमानित की गई, जिसे दिनांक 29.07.2010 को निस्तारित किया गया, जिसका आदेश निम्नानुसार उद्धृत है: -

'राज्य के विद्वान् स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

अपीलकर्ता-राज्य ने विलंब क्षमा हेतु आवेदन किया है और उक्त आवेदन के समर्थन में शपथ-पत्र दाखिल किया है। यह अपील 3 वर्ष 166 दिन के विलंब से दायर की गई है। विद्वान् स्थायी अधिवक्ता के अनुसार, समय-सीमा के भीतर अपील दाखिल करने में विफल रहने के कारणों का उल्लेख कर दिया गया है। रिट याचिका का निर्णय दिनांक 09.01.2007 को हुआ था। विद्वान् अधिवक्ता के अनुसार, प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ताओं में से एक, ललता सिंह की मृत्यु वर्ष 1999 में ही हो चुकी थी, जिस तथ्य को न तो याचिकाकर्ताओं की ओर से और न ही प्रतिवादियों की ओर से न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था।

यह भी इंगित किया गया है कि प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति एक विशिष्ट अवधि के लिए पूर्णतः अस्थायी आधार पर की गई थी, जिसका अनुबंध नवीनीकृत नहीं किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय में इस तथ्य का संदर्भ दिया है, फिर भी सेवा समाप्ति के आदेश को, यदि कोई था, रद्द कर दिया गया है।

यह अभिवचन किया गया है कि सेवा समाप्ति का कोई आदेश विद्यमान नहीं था और प्रत्यर्थी-अस्वीकरण-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ बहुत पहले ही स्वतः समाप्त हो गई थीं और उन्हें पुनः नियोजित नहीं किया गया था।

विलंब के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। तथापि, इंगित किए गए उपरोक्त पहलुओं पर विचार करते हुए, हम अपीलकर्ता को यह छूट देते हैं कि वे उपरोक्त पहलुओं पर विचार हेतु रिट याचिका में एक पुनर्विचार आवेदन दाखिल करें। उक्त आवेदन का निस्तारण करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए परिसीमा की अवधि पर विचार करना भी खुला रहेगा।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, अपील निस्तारित की जाती है।'

5. इसके पश्चात, राज्य द्वारा एक पुनर्विचार आवेदन, **सिविल विविध पुनर्विचार आवेदन संख्या 257127 वर्ष 2010**, अधिमानित किया गया, जिसे दिनांक 19.05.2015 को खारिज कर दिया गया, जो निम्नानुसार उद्धृत है: -

"आवेदकों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया। श्री आर.एन. त्रिपाठी याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए।

वर्तमान पुनर्विचार आवेदन के माध्यम से, प्रत्यर्थी-आवेदकों ने दिनांक 09.01.2007 के निर्णय एवं आदेश में संशोधन करने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा रिट याचिका स्वीकार की गई थी।

मैंने दिनांक 09.01.2007 के निर्णय एवं आदेश का अवलोकन किया है और मुझे अभिलेख के पटल पर कोई भी प्रत्यक्ष त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

पुनर्विचार आवेदन खारिज किया जाता है।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. रिट याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया, अतः उसने रिट-ए संख्या 18413 वर्ष 2016 अधिमानित की, जिसे दिनांक 27.04.2016 को निस्तारित किया गया, जिसका आदेश निम्नानुसार उद्धृत है: -

"याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके पिता स्वर्गीय ललता सिंह संग्रह अमीन के रूप में कार्यरत थे। स्वर्गीय ललता सिंह को प्रारंभ में 1976 के आसपास सामयिक संग्रह अमीन के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें नियमित कर दिया गया और 'उत्तर प्रदेश संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1974' के प्रावधानों के अनुसार स्थायी संग्रह अमीन बना दिया गया। वे 1993 तक इसी पद पर बने रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 1993 में उनकी सेवाएँ एक अन्य संग्रह अमीन के साथ समाप्त कर दी गई थीं, जिसे उन्होंने सिविल विविध रिट याचिका संख्या 28744 वर्ष 1993 (ललता सिंह एवं अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया एवं अन्य) के माध्यम से चुनौती दी थी। उक्त रिट याचिका दिनांक 09 जनवरी, 2007 को स्वीकार कर ली गई और सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त कर दिया गया। तथापि, यह ज्ञात हुआ है कि उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता के पिता (उक्त रिट याचिका के याचिकाकर्ता) की वर्ष 1999 में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी।

उपरोक्त रिट याचिका में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 09 जनवरी, 2007 के आदेश के विरुद्ध, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 686 वर्ष 2010 इस आधार पर अधिमानित की गई थी कि विद्वान एकल न्यायाधीश को उक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ता के पिता) की मृत्यु के बारे में सूचित नहीं किया गया था, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश का उक्त आदेश अवैध था। खंडपीठ ने दिनांक 29 जुलाई, 2010 के आदेश द्वारा विशेष अपील को इस छूट के साथ निस्तारित किया कि अपीलकर्ता विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष पुनर्विचार आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अनुपालन में, एक पुनर्विचार आवेदन दायर किया गया जिसे 19 मई, 2015 को खारिज कर दिया गया। अतः, यह स्पष्ट

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि पुनर्विचार आवेदन के खारिज होने के बाद इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09

जनवरी, 2007 को पारित आदेश पुनर्जीवित हो गया है।

इसी पृष्ठभूमि में, स्वर्गीय ललता सिंह के पुत्र द्वारा अनुकंपा के आधार पर अपनी नियुक्ति के लिए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना है।

अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि याचिकाकर्ता के पिता की सेवाएँ नियमित कर दी गई थीं और वे अपनी मृत्यु तक स्थायी संग्रह अमीन के रूप में कार्यरत थे, क्योंकि 1993 में पारित उनके सेवा समाप्ति के आदेश पर इस न्यायालय द्वारा 17 अगस्त, 1993 को रोक लगा दी गई थी और बाद में 09 जनवरी, 2007 को स्वयं रिट याचिका स्वीकार कर ली गई थी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विशेष अपील और पुनर्विचार आवेदन दोनों खारिज हो चुके हैं।

उपरोक्त के आलोक में, मेरा यह मत है कि याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर प्रतिवादी संख्या दो, जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में विचार किया जाए। प्रतिवादी संख्या दो द्वारा उक्त प्रक्रिया इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से अधिमानतः तीन महीने के भीतर शीघ्रता से पूरी की जाएगी।

तदनुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

7. अब उप जिलाधिकारी, तमकुहीराज, कुशीनगर द्वारा दिनांक 29.01.2024 को विवादित आदेश पारित किया गया है, जिसके माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति हेतु रिट याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया है।
8. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
9. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता, विशेषकर तब जब विवादित आदेश में यह उल्लेख

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया है कि 31.05.1993 को ललता प्रसाद की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं और वे नियमित कर्मचारी नहीं थे तथा उन्होंने उसके बाद कार्य नहीं किया; परंतु रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, दिनांक 09.01.2007 को रिट याचिका संख्या 28744 वर्ष 1993 के स्वीकार होने जिसमें सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द किया गया था, के आशय और प्रभाव, तथा अंतः न्यायालय अपील, विशेष अपील (डी) संख्या 686 वर्ष 2010 में पारित आदेश और पुनर्विचार आवेदन की विफलता के तथ्यों पर विचार नहीं किया गया है। तर्क यह है कि इस संबंध में रिट याचिकाकर्ता के पिता की सेवाएं नियमित हो चुकी थीं।

10. श्री श्रीवास्तव, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उक्त कानूनी और तथ्यात्मक स्थिति का खंडन नहीं कर सके। उनके अनुसार, विवादित आदेश की शब्दावली उचित नहीं है और यह मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित नहीं करता है।
11. मैंने बार (न्यायालय) के समक्ष प्रस्तुत दलीलों को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।
12. स्पष्टतः, रिट याचिकाकर्ता के पिता एक सामयिक संग्रह अमीन थे, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, जिसके विरुद्ध एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसे दिनांक 09.01.2007 को स्वीकार कर लिया गया था (सिविल विविध रिट याचिका संख्या 28744 वर्ष 1993)। इसके विरुद्ध एक विशेष अपील दायर की गई थी, और तत्पश्चात विशेष अपील एवं पुनर्विचार आवेदन को खारिज कर दिया गया था। उनमें दर्ज किए गए निष्कर्ष प्रतिवादियों पर बाध्यकारी हो चुके थे, जिन पर विचार नहीं किया गया है। चूंकि प्रश्नगत आदेश संक्षिप्त, अप्रतिपादित, अकारण है और मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं देता है, अतः विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता।
13. तदनुसार, रिट याचिका निम्नलिखित शर्तों के साथ निस्तारित की जाती है:

- (a) उप जिलाधिकारी, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 को रद्द किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- . (b) मामले को नए सिरे से आदेश पारित करने हेतु संबंधित प्राधिकारी को **वापस भेजा** जाता है।
 - . (c) स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय ने याचिकाकर्ता को स्वतः अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की है, यह वहां पारित होने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगा।
 - . (d) यह प्रक्रिया तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।
14. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

26 फरवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।